

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3632  
17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग के लिए योजना

3632. श्री विवेक ठाकुर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए विभिन्न देशों में घरेलू वस्त्र उद्योग की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर  
वस्त्र राज्य मंत्री  
(श्री पवित्र मार्गेरिटा)

(क) से (घ): सरकार शून्य दर वाले निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपैरल/गारमेंट और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना लागू कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के तहत कवर नहीं किए गए वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किया जाता है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय ने फरवरी, 2024 में एक वैश्विक मेगा टेक्स्टाइल इवेंट यानी भारत टेक्स 2024 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों का समर्थन किया था और भारतीय वस्त्र मूल्य शृंखला की ताकत को प्रदर्शित करने, टेक्स्टाइल और फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति/नवाचारों पर प्रकाश डालने और भारत को वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए फरवरी, 2025 में निर्धारित उसी कार्यक्रम यानी भारत टेक्स 2025 का भी समर्थन कर रहा है।

इसके अलावा, सरकार भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार एवं विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना जिसका उद्देश्य मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है; रेशम उत्पादन मूल्य शृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र के लिए एंड-टू-एंड सहायता के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी क्रियान्वित कर रहा है।

\*\*\*\*